UPGK010014392026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–712/2026

प्रदीप यादव पुत्र रामकिशोर उर्फ राजकिशोर यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जंगल केवटलिया, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर।

.............**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–113/2025
अंतर्गत धारा–351(3),352 BNS
व 3(1) द,ध, 3(2)(Va) SC/ST Act
थाना–गगहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 19–03–2026

आवेदक/अभियुक्त **प्रदीप यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र बृजेश यादव द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादिनी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी प्रिती पुत्र राधेश्याम ग्राम पिपिगंज थाना पिपिगंज जनपद गोरखपुर कि मूल निवासीनी हूँ। प्रार्थिनी से रिषभ उर्फ संतोष पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम बेलवार चौराहा थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर ने करीब दो वर्ष पूर्व में प्रार्थिनी से मन्दिर में शादी किया है। जब से रिषभ उर्फ सन्तोष यादव ने शादी किया है। तब से गगहा चौराहा गोलई सिंह के मकान में किराये का कमरा लेकर रहते है। हम लोग पति पत्नी की तरह रहते थे। प्रार्थिनी ने अपने पति से कहा कि मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। तो हमारे पति नाराज होकर हमारे साथ गाली गलौज करते हुए हमारे साथ मारपीट करने लगे तथा दस दिन से हमारे पति का मो0नं0 87268XXXXX है हमारे पति कोर्ट मैरेज करने में हिला हवाली कर रहे है। मैं प्रार्थिनी वर्तमान में गगहा बाजार में ग्राम मेहदिया थाना गगहा में रहती हूं।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी को मात्र हैरान व परेशान तथा पैसा वसूलने हेतु फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज कराने के बाद अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी व सह अभियुक्त ऋषभ उर्फ संतोष शादी शुदा है। प्रार्थी के विरूद्ध वादिनी के प्रथम बयान धारा–180 बी०एन०एस०एस० व बयान चिकित्सीय जांच में भी प्रार्थी का नाम नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा काफी सोच समझकर के प्रार्थना पत्र अपने हाथ से लिखकर मुकदमा दर्ज करायी है जो धारा–85, 115(2), 352 बी०एन०एस० मे दर्ज हुआ है जिससे वह यह नहीं कह सकती है कि मुकदमा हेतु तहरीर उसके बताने के अनुसार नही लिखा गया है। वादिनी मुकदमा के अनुसार वह ऋषभ उर्फ संतोष से मुकदमा दर्ज कराने के दो वर्ष पूर्व कर चुका है ऐसी स्थिति मे यदि उसके पति से कोई शिकायत है तो वह मात्र परिवारिक विवाद हो सकता है। इसी कारण मुकदमा धारा–85 बी०एन०एस० मे दर्ज हुआ है। असलियत यह है कि वादिनी मुकदमा डी० जे० में डांस करती है तथा बहुत ही मार्डन किस्म की महिला है। यह पचास लड़कों के साथ रील बनाई है। जिसकी फोटो संलग्नक 1/2 ता 1/3 है तथा पेनड्राइव मे पचासो लड़को के साथ रील बनाने / डांस करने और पति पत्नी के तरह रहने का विडियोग्राफी है। वादिनी मुकदमा लोगो के साथ डांस/रील बनाने का व फोटो जरिए रील बनाकर लोगो को ब्लैक मेल कर पैसा वसूलती है। प्रार्थी का कोई विगत आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी दौरान विवेचना धारा–35 बी०एन०एस०एस० का पालन किया है। प्रार्थी ग्राम जंगल केवटलिया का ग्राम प्रधान है तथा प्रार्थी से राजनैतिक रंजिश रखने वालो के साजिश से फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर गाली गुप्ता देने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No**. 6400 **of** 2025 **Smt**. **Bacchi**

Devi vs. State of U.P. and other [**Netural Citation No**. 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **प्रदीप यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–712/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 17:07:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court